कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा म.प्र.

निविदा

2025–2026

श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से चिकित्सालयों में स्थापित मेडिकल गैस पाईपलाईन, वैक्यूम एण्ड एअर प्लाण्ट, पी.एस.ए.(ऑक्सीजन जेनेरेटर प्लाण्ट के वार्षिक संचालन एवं संधारण हेतु ए.सी.एम.सी.(**Annual comprehensive operation and maintenance**) हेतु ई–निविदा

(प्रथम आमंत्रण)

कीमत रू. 3000/–
(रूपये तीन हजार मात्र)

निविदा क्रमांक-07/2025–26

ONLINE TENDER SCHEDULE

ONLINE TENDER SCHEDULE

ई–निविदा विज्ञप्ति क्र 07 / 2025–26

SEQ NO	SCHEDULE	START DATE & TIME	EXPIRY DATE & TIME
1	PURCHASE OF TENDER ONLINE	28/02/2025 11:00 AM	21-03-2025 06:00 PM
2	BID SUBMISSION ONLINE	28/02/2025 11:00 AM	21/03/2025 06:00 PM
3	TECHNICAL PROPOSAL OPEN	25/03/2025 11:00 AM	/
4	FINANCIAL BID OPEN	पृथक से सूचना दी जावेगी।	/

ईमेल:-jdsupdtgmhrewa@rediffmail.com,

संपर्क:-07662-350106, 9617348113 , 9644695933,

पोर्टल् में ऑनलाईन अपलोड किए जाने वाले अनिवार्य दस्तावेजों की सूची-

1- अमानत राशि रू. 30000.00 (तीस हजार मात्र) आनलाइन की ऑनलाईन जमा रसीद।
2- मूल निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर एंव सील सहित(ऑनलाईन क्रय किया हुआ)
3- फर्म/संस्था के रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति।
4- पैन कार्ड की छायाप्रति।
5- जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति।
6- वित्तीय वर्ष 2022-23, 23-24 का आयकर रिटर्न जमा करने की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति।(असेसमेंट ईअर 23-24 एवं 2024-25)
7- फर्म का वार्षिक टर्नओवहर संबंधी सी.ए. द्वारा जारी प्रमाण पत्र (20.00 लाख वार्षिक से कम नही होना चाहिए वित्तीय वर्ष 2023-24)
8- 100 रू; के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित नोटराइज्ड घोषणा पत्र।
9. शासकीय / अर्ध–शासकीय / 500 बेड चिकित्सालयों में मेडिकल गैस पाईपलाईन एवं पी.एस.ए. जनरेटर प्लांट का तीन वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र एवं कार्य आदेश की छायाप्रति।

तकनीकी बिड हेतु प्रपत्र

10. निविदाकार द्वारा तकनीकी बिड हेतु प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी

स. क्र.	तकनीकी मापदण्ड हेतु अनिवार्य दस्तावेज	निविदाकार के द्वारा टिक किया जावें । पृष्ठ क. दर्शायें		परीक्षण समिति द्वारा टिक किया जावें।	
		हां	नही	हां	नही
1.	अमानत राशि रू. 30000.00 (तीस हजार मात्र) आनलाइन की ऑनलाईन जमा रसीद।				
2.	मूल निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर एंव सील सहित(ऑनलाईन क्रय किया हुआ)				
3.	फर्म/संस्था के रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति।				
4	पैन कार्ड की छायाप्रति।				
5	जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति।				
6.	वित्तीय वर्ष 2022-23, 23-24 का आयकर रिटर्न जमा करने की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति।(असेसमेंट ईअर 23-24 एवं 2024-25)				
7	फर्म का वार्षिक टर्नओवहर संबंधी सी.ए. द्वारा जारी प्रमाण पत्र (20.00 लाख वार्षिक से कम नही होना चाहिए वित्तीय वर्ष 2023-24)				
8	100 रू; के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित नोटराइज्ड घोषणा पत्र।				
9	शासकीय/अर्ध–शासकीय/ 500 बेड चिकित्सालयों में मेडिकल गैस पाईपलाईन एवं पी.एस.ए. जनरेटर प्लांट का तीन वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र एवं कार्य आदेश की छायाप्रति।				

निविदाकर्त्ता संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर ....

निविदाकर्त्ता संस्था प्रमुख का नाम ....

(स्पष्ट अक्षरो)

संस्था का नाम एवं पूर्ण पता एवं सील ....

नियम एवं शर्ते

1. मेडिकल गैस पाईपलाईन, लिक्विड ऑक्सीजन प्लाण्ट, वैक्यूम एण्ड एअर प्लाण्ट, पी.एस.ए. (ऑक्सीजन जेनेरेटर प्लाण्ट के वार्षिक संचालन एवं संधारण हेतु ए.सी.एम.सी.(Annual comprehensive operation and maintenance) हेतु ई–निविदा आंमत्रित की जाती है। नि. विदा प्रपत्र वेबसाईट https://mptenders.gov.in/ पर आनलाईन भुगतान कर क्रय किये जा सकेंगे। इसे चिकित्सा महाविद्यालय रीवा की वेबसाइट http://www.ssmcrewa.com में भी देखा जा सकेगा।
2. आनलाईन निविदा जमा करनें की निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त निविदाऍ स्वीकार नही की जावेगी। आनलाईन निविदा फार्म क्रय करने का मूल्य रू. 3000.00(तीन हजार मात्र) निर्धारित हैं यह राशि किसी भी दशा में वापसी योग्य नही है।
3. निविदा के साथ अमानती राशि रूपये 30000/–(तीस हजार मात्र) ऑनलाईन जमा करनी हो गी। अमानत राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नही होगा। जिस निविदाकार की निविदा स्वीकृत होगी उससे परफॉर्मेंस गारंटी के रूप में वार्षिक लागत का 5 प्रतिशत राशि अनुबंध के साथ जमा करनी होगी।
4. प्राइस बिड केवल ऑनलाईन ही भरी जावे तथा भारतीय मुद्रा में ही स्वीकार्य होगी।
5. कृपया प्राईस बिड भरने के पहले समस्त दस्तावेज एंव स्पेशिफिकेशन ध्यानपूर्वक पढ़ एंव समझ लें, उसके पश्चात ही निविदा भरें।
6. निविदाकार को ऑनलाईन क्रय किए हुए निविदा प्रपत्र एवं उसके साथ संलग्न कागजातों के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर कर सील लगाकर प्रस्तुत करना होगा।
7. चिकित्सालय की क्रय समिति को किसी भी अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये अमान्य करने का अधिकार होगा।
8. शासकीय/अर्ध–शासकीय/500 बेड चिकित्सालयों में मेडिकल गैस पाईपलाईन एवं पी.एस.ए. जनरेटर प्लांट तथा निविदा में वर्णित कार्य करने का 03 वर्ष का अनुभव प्रमाण संलग्न करना अनिवार्य होगा। अनुभव प्रमाण पत्र की पुष्टि हेतु जारी कार्यादेश की सत्यापित छायाप्रति भी लगाना अनिवार्य होगा।
9. स्पेयर पार्टस जो बदले जायेगें वह ओरिजिनल/सुपीरियर क्वालिटी के लगाना होगा। सी.ए.एम. सी. में जो आयटम शामिल नही होंगे उन्हे निविदाकार द्वारा दर सूची के साथ तकनीकी बिड में लगाना अनिवार्य होगा।
10. निविदाकार द्वारा प्रस्तुत कोई भी शर्त स्वीकार नहीं की जावेगी ।
11. इच्छुक निविदाकार निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व डॉ. अभयराज, सह–प्राध्यापक निश्चेतना विभाग मों – 9993260509 पर संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं साथ ही स्थापित गैस पाईपलाईन, लिक्विड ऑक्सीजन प्लाण्ट, मैनीफोल्ड, पी.एस.ए. प्लाण्ट का निरीक्षण भी कर सकते है।
12. निविदा स्वीकृत होकर कार्य हेतु आदेशित करने पर कार्य न करने की दशा में अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी तथा भविष्य के लिए निविदा हेतु अयोग्य घोषित कर दिया जावेगा।

13. भारत शासन/मध्यप्रदेश शासन द्वारा लागू श्रम नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
14. निविदाकार को निविदा में वर्णित कार्यों के 24 घंटे संचालन हेतु योग्यताधारी, कुशल एवं अनुभवी स्टाफ(08 कुशल, 08 अकुशल एवं 01 सुपरवाईजर) की व्यवस्था स्वयं करनी होगी रखे गए स्टाफ की समस्त जिम्मेदारी निविदाकार की होगी एवं रखे गये समस्त कर्मचारियों को कलेक्टर दर से कम भुगतान देय नहीं होगा। कुशल कर्मी की योग्यता 12वीं पास, आई.टी.आई. डिप्लोमा, मेकेनिकल, वॉयोमेडिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिये। अकुलशल कर्मी की न्यूनतम योग्यता 10वीं पास होनी चाहिये।
15. सफल निविदाकार को **annual operational Comprehensive Maintainace contract** का मासिक भुगतान देयक हेतु प्रस्तुत करने पर विभागाध्यक्ष निश्चेतना विभाग से कार्य संतोषजनक का प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही किया जावेगा।
16. स्वीकृत निविदा, स्वीकृति की तिथि से सामान्यतः 03 वर्ष की समयावधि तक के लिये होगी । कार्य आदेश प्रथमतः 01 वर्ष के लिए जारी किया जावेगा। कार्य संतोषजनक पाये जाने पर शेष अवधि के लिए बढाई जावेगी। निविदा अवधि समाप्त होने के पश्चात आपसी सहमति से निविदा अवधि उसी दर एंव शर्त पर आगामी 01 वर्ष अथवा नई निविदा प्रभावी होने तक बढाई जा सकेगी।
17. स्वीकृत निविदा प्रभावषील रहने की अवधि में जनहित की आवश्यकता के अनुरूप निविदा के निबंधन एवं शर्तों में परिवर्तन करने का अधिकार चिकित्सालय की क्रय समिति के पास सुरक्षित है।
18. निविदा के अनुमोदित होने के उपरान्त निविदाकार द्वारा कार्य में कोई हीला–हवाली या टाल–मटोल करके विलम्ब किया जाता है तो जमा अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी तथा भविष्य के लिए निविदा भरने से वंचित कर दिया जावेगा।
19. सफल निविदाकार को कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व रू. 1000/– के नान–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर 15 दिवस के भीतर उपरोक्त शर्तों के अधीन अनुबंध पत्र निष्पादित करना होगा एवं अनुबंध निष्पादन पश्चात तत्काल कार्य प्रारम्भ करना होगा।
20. निविदाकार को श्रम नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। देयक के साथ रखे गए कर्मचारियों की मासिक उपस्थिति, वेजेस पंजी, ई.पी.एफ./ई.एस.आई.सी. चालान की जानकारी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। रखे गए कर्मचारियों का भुगतान बैंक खाते में ही किया जावेगा।
21. निविदा के सम्बन्ध में न्यायिक विवाद रीवा स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होगा।
22. एल.एम.ओ. टैंक/मेनिफोल्ड से मरीज तक आक्सीजन की निरंतर अपूर्ति बनाये रखने की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी।

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा (म.प्र.)

घोषणा पत्र (शपथ पत्र)

(100/–रूपये के नान–ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाये)

1. मैं/हम भारत का/के नागरिक हूँ/है।
2. मैं/हम भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार निविदा कार्य के लिए सक्षम हूं/हैं।
3. मुझे/हमें म.प्र. शासन के किसी भी विभाग द्वारा निविदाकार्य से बहिष्कृत नहीं किया गया है।
4. मैं/हम किसी ऐसे कान्ट्रेक्टर, जो कि म.प्र. शासन के किसी विभाग द्वारा बहिष्कृत किया गया हो, न तो अभिकर्त्ता हूँ/है और न ही उसके लिये कार्य करता हूँ/करते है।
5. मेरे/हमारे द्वारा निविदा की शर्तो के अलावा अन्य कोई शर्ते प्रस्तुत नही की गयी है। यदि अन्य कोई शर्ते प्रस्तुत की गयी है, तो उसे अमान्य माना जाये।
6. श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय/संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय/गांधी स्मारक/सुपरस्पेशिलिटी चिकित्सालय रीवा के किसी अधिकारी/कर्मचारी से संबंध नहीं है।
7. मेरे/हमारे उपर राज्य/केन्द्र सरकार को देय किसी भी प्रकार का कर बकाया नही है।
8. मेरी/हमारी संस्था के विरूद्व न तो एफ.आई.आर. दर्ज है और न ही किसी सक्षम न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है और न ही सक्षम न्यायालय द्वारा दोषसिद्व घोषित किया गया है।
9. मेरे द्वारा प्रस्तुत जानकारी सही है। असत्य पाये जाने पर मेरे विरूद्व विधिसम्मत कार्यवाही के किए जाने पर में स्वयं उत्तरदायी रहूंगा।

गवाह के हस्ताक्षर

1. गवाह का नाम..................................

   पता......................

2. गवाह का नाम.................................

   व पता ....

निविदाकार के हस्ताक्षर

संस्था के समक्ष अधिकारी का नाम..................व

पता..

संस्था का नाम एवं पता.....................................

....

प्राईस बिड केवल ऑनलाईन भरी जावे।

क.	कार्य	दर प्रति वर्ष	जी.एस.टी. %	कुल
1.	संजय गांधी स्मृति /गांधी स्मारक चिकित्सालय में स्थापित मेडिकल गैस पाईपलाईन, (मैनीफोल्ड, आउटलेट, वैक्यूम एण्ड एअर प्लाण्ट, लिक्विड ऑक्सीजन प्लाण्ट सहित) के वार्षिक संचालन एवं संधारण के लिए सी.ए.एम.सी. हेतु राशि (**Annual Comprehensive Operational & Maintenance Contract**)			
2.	सुपरस्पेशिलिटी अस्पताल में स्थापित मेडिकल गैस पाईपलाईन, मैनीफोल्ड, आउटलेट, वैक्यूम एण्ड एअर प्लाण्ट, लिक्विड ऑक्सीजन प्लाण्ट के वार्षिक संचालन एवं संधारण के लिए सी.ए.एम.सी. हेतु राशि (**Annual Comprehensive Operational & Maintenance Contract**)			
3	सुपरस्पेशिलिटी अस्पताल में स्थापित पी.एस.ए. 500 एल.पी.एम. (ऑक्सीजन जेनेरेशन प्लाण्ट के संचालन एंव संधारण हेतु सी.ए.एम.सी. हेतु राशि– पी.एस.ए का संधारण कार्य 01.05.2022 से प्रारंभ होगा। उत्पादन क्षमता 100 जंबो साईज सिलेण्डर प्रतिदिन है। एक वर्ष हेतु प्लांट वारंटी अवधि में होने के कारण केवल संचालन कार्य			
4	सुपरस्पेशलिटी अस्पताल में स्थापित पी.एस.ए. जनरेशन प्लांट के संचालन एवं संधारण हेतु। (प्लांट की उत्पादन क्षमता 500एल.पी.एम. प्रतिदिन है।)			

टीपः– कम्प्रेहेन्सिव मेंटैनेन्स में जो आयटम शामिल नही है, उनकी सूची दर सहित तकनीकी बिड के साथ संलग्न की जावे।

निविदाकर्ता/सेवादाता के हस्ताक्षर
नाम एवं पूर्ण पता
संस्था की सील